अध्याय 15

जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था

वर्तमान में हमारे देश में 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को संभागों में, संभाग को जिलों में, जिले को खण्डों एवं तहसीलों में तथा तहसील को पटवार वृत्त (ग्राम पंचायत स्तर) में बाँटकर शासन की प्रत्येक इकाई के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। हमारे राज्य राजस्थान में सात सम्भाग व उनमें 33 जिले हैं। आप इनका अवलोकन संलग्न मानचित्र में करें। इन इकाईयों में जिला एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। जिले का चहुँमुखी विकास 'जिला प्रशासन' की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है।

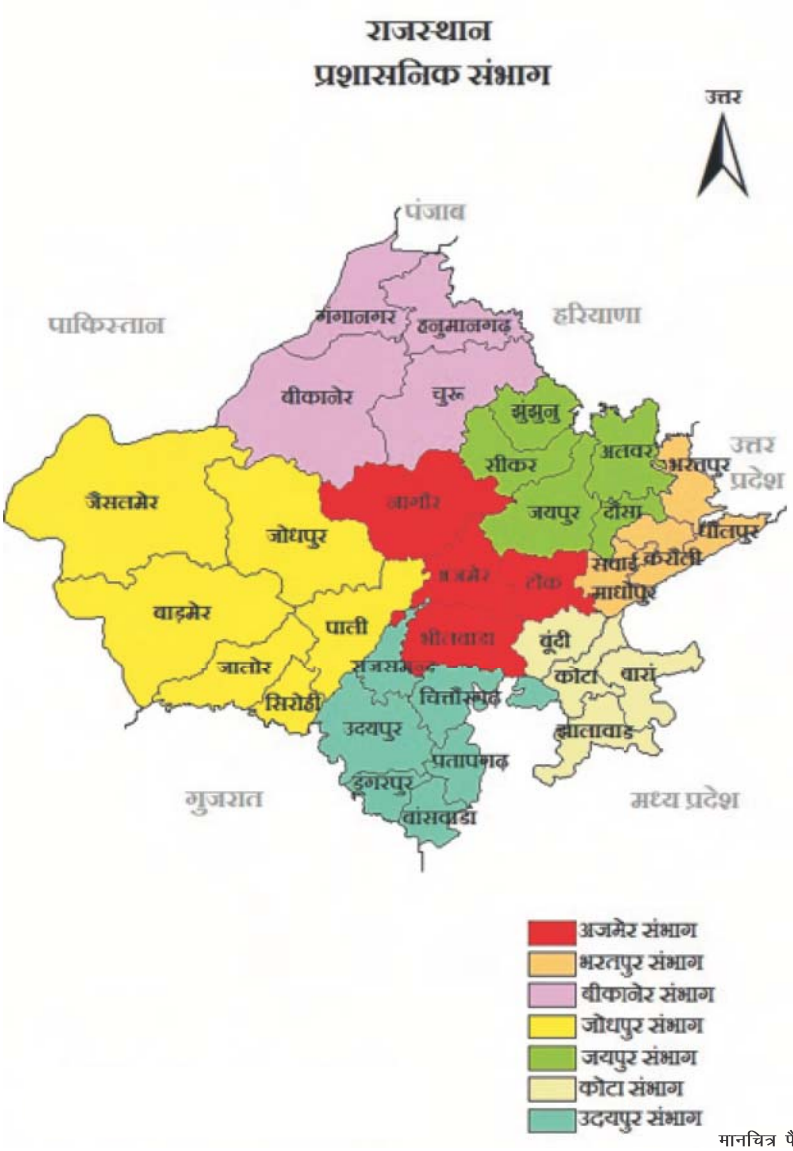

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

संलग्न मानचित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें–

1. राज्य के सात संभाग मुख्यालय कौन–कौन से हैं ?
2. आपका जिला किस संभाग के अन्तर्गत स्थित है ?
3. आपके जिले के पड़ोसी जिलों के नाम बताइये ?

गतिविधि–

राजस्थान के रेखा मानचित्र में आपके अपने संभाग को प्रदर्शित करने के लिये उसमें रंग भरें व अपने जिले का नाम भी लिखें।

जिला कलेक्ट्रेट, टोंक

जिला स्तर पर जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है –

1. शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना।
2. भू–अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना।
3. रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था।
4. शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था।
5. जिले के विकास की विभिन्न योजनाएँ बनाना और उन को लागू करवाना।

6. विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न करवाना।

7 .प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करना।

8 .जनता और सरकार के बीच की 'कड़ी' का काम करना।

9 .पंचायत राज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।

10 .जनसमस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करना।

उपर्युक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर होता है। जिला कलक्टर विभिन्न रूपों में कार्य करता है। वह जिला कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलक्टर (पंचायत), कलक्टर (रसद), कलक्टर (भू–अभिलेख), जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है।

जिले के सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य जिला कलक्टर द्वारा स्वयं एवं उसके मार्गदर्शन में किये जाते हैं। जिला कलक्टर की मदद के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी अपने अधिनस्थों की मदद से अपने–अपने विभाग के कार्यों को सम्पादित करते हैं, जैसे– पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता आदि। निम्नलिखित सारिणी की सहायता से हम जिला प्रशासन एवं उसके कार्यों को समझ सकते है–

जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य एवं कार्य में सहयोग करने वाले प्रमुख जिला अधिकारी –

1. शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना	2–राजस्व व भू–अभिलेखों का संधारण एवं भू–राजस्व लेना	3–नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना	4–जनता व सरकार के बीच की कड़ी	5–राजकोषीय कार्य
पुलिस अधीक्षक ↓ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ↓ उप पुलिस अधीक्षक ↓ वृत्त निरीक्षक ↓ उप निरीक्षक ↓ हेड कांस्टेबल ↓ कांस्टेबल	अतिरिक्त जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट (ADM) ↓ उप खण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट (SDM) ↓ तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट ↓ नायब तहसीलदार ↓ भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) ↓ पटवारी	1. जिला रसद अधिकारी 2. जिला वन अधिकारी 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 4. जिला शिक्षा अधिकारी 5. जिला नियोजन अधिकारी 6. जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी	जन सम्पर्क अधिकारी ↓ उप जन सम्पर्क अधिकारी	कोषाधिकारी (जिला मुख्यालय) ↓ उप जिला कोषाधिकारी ↓ उप कोषाधिकारी (तहसील स्तर)

जिला प्रशासन के कार्यों की विवेचना

1. **शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना–** जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इस कार्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन होता है। जिले में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) के नियंत्रण, निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करता है। उसके नियन्त्रण में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक (डी.एस.पी.), वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी (हैड कांस्टेबल) तथा आरक्षी (कांस्टेबल) होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.), उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) एवं तहसील स्तर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) नियुक्त होते हैं। ये सभी मजिस्ट्रेट अपने–अपने स्तर पर पुलिस अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर शान्ति व कानून व्यवथा बनाए रखते हैं।

2. **जिले के 'भू–अभिलेख' अद्यतन रखना तथा किसानों से भू–राजस्व प्राप्त करना–** 'जिला प्रशासन' का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह अपने अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों का अभिलेख रखे व इसे अद्यतन (Update) भी बनाए रखे। गाँव का पटवारी गाँव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है, इसके साथ वह खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है, भूमि के मालिक का नाम व उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे 'गिरदावरी' करना कहते हैं। इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे 'भू–राजस्व' या 'लगान' कहते हैं।

3. **रसद एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना–** जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएँ, जैसे– खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेन्डर आदि को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था 'जिला रसद अधिकारी' करता है। बाढ़, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना भी जिला प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य होता है।

4. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना–** जिले में चिकित्सा सुविधाएँ एवं दवाइयाँ, टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, नशा मुक्ति आदि कार्यकर्मों को संचालित करने हेतु एक 'मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी' होता है। उसके सहयोग हेतु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर), नर्स, प्रसाविका (दाई) आदि होते हैं।

5. **कृषि–विकास एवं सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना–** यह कार्य जिले के सिंचाई एवं कृषि विभाग करते हैं, जो किसानों को सिंचाई की सुविधा और उन्नत खाद–बीज उपलब्ध करवाते हैं। कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए भी ये विभाग मदद करते हैं।

6. **जिला योजनाओं का निर्माण व क्रियान्विति–** केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति

विकास, सिंचाई योजनाएँ आदि। इन योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्विति जिले के विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है, जिन पर जिला प्रशासन का नियंत्रण एवं निर्देशन होता है।

7. **वनों का विकास एवं पर्यावरण सुधार–** जिले में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु 'जिला वन अधिकारी' होता है, जो वनों के विकास के कार्य एवं देखभाल करता है।

8. **संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना–**जिले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायतराज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय–समय पर होते रहते हैं। इन चुनावों को कराने का दायित्व जिला प्रशासन का है। जिला कलक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग से इन चुनावों को सम्पन्न करवाता है।

9. **जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का कार्य–** जिले में प्राकृतिक आपदा एवं अन्य समस्याओं के निवारण के लिये जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है तथा आवश्यक व्यवस्था करता है। दूसरी ओर वह सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को देता है, ताकि जनता उनका लाभ उठा सके।

10. **पंचायतराज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन–** पंचायतीराज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद् को सहयोग प्रदान करता है।

11. **जन समस्याओं व शिकायतों का निवारण–** आम जनता की कठिनाईयों एवं शिकायतों के निवारण के लिये जिला स्तर पर 'जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति' होती है। यह आम जनता की बिजली, पानी, टेलिफोन, यातायात, पेन्शन प्रकरण, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाना आदि समस्याओं का निराकरण कराती है। आम जनता इस समिति के माध्यम से अपनी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करवा सकती है।

12. **जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन–** प्रत्येक जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक–पृथक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। वे अपने जिले में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों को सुचारू एवं सुव्यस्थित रूप से संचालित करवाना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की पालना करवाना, निजी विद्यालयों को मान्यता देना, जिला स्तर पर विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना आदि कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जिले के सभी विकास खण्डों में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं।

13. **अन्य कार्य–** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की राजकीय यात्रा को निर्बाध रूप से सम्पन्न करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।

हमें जिला प्रशासन के कार्यों में उसका सहयोग करना चाहिए। अब हम जिले की न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे।

जिले की न्याय व्यवस्था

स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें। जब

कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विवादों के समाधान तथा उनके उचित–अनुचित का फैसला करने के लिए हमारे संविधान द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।

नागरिकों के बीच में सामान्यतः तीन प्रकार के विवाद हो सकते हैं–

1. **दीवानी विवाद–** सम्पत्ति (जमीन–जायदाद), चीजों की खरीददारी, विवाह, किराया और संविदा सम्बंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है।
2. **फौजदारी विवाद–** हत्या, मारपीट, चोरी तथा शान्ति–भंग करने से सम्बंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है।
3. **राजस्व विवाद–** भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामान्तरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद आते हैं। ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप–तहसीलदार, तहसीलदार अथवा सहायक कलक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। जिले में अन्तिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलक्टर के यहाँ होता है।

इस प्रकार जिले में मुख्यतः तीन प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं–

1. दीवानी न्यायालय 2. फौजदारी न्यायालय 3. राजस्व न्यायालय

फौजदारी न्यायालयों में कार्य प्रक्रिया

फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की सूचना को 'प्रथम सूचना प्रतिवेदन' (एफ.आई.आर.) कहते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती है और फिर न्यायालय में उस मामले का चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय प्रस्तुत सबूतों के साथ–साथ गवाहों तथा दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है।

इनके अतिरिक्त जिले में कुछ विशिष्ट न्यायालय भी होते हैं, जैसे– पारिवारिक न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों संबंधी न्यायालय, श्रम न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय, जिला उपभोक्ता मंच आदि।

लोक अदालत

न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत न्यायाधीश उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विवादग्रस्त पक्षों के मध्य समझौता (राजीनामा) करवाकर विवाद का स्थायी समाधान करवाते हैं,जो न्यायालयों को मान्य होता है। इससे आपसी कटुता दूर हो जाती है तथा सस्ता और त्वरित न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान में लोक अदालतें बहुत लोकप्रिय हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।

सामान्य रूप से हमें आपसी स्नेह, सहयोग तथा मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि विवादों से बचा जा सके।

गतिविधि : अपने शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए		
क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	हमारे राज्य का नाम	
2	आपके जिले का नाम	
3	आपके सम्भाग का नाम	
4	आपके क्षेत्र के उपखण्ड का नाम	
5	आपके क्षेत्र की तहसील का नाम	
6	आपके क्षेत्र का पुलिस थाना	
7	आपके गाँव का पटवार वृत्त	
8	आपका नजदीकी राजकीय चिकित्सालय	
9	आपके जिले के जिला कलक्टर का नाम	
10	आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	

शब्दावली

संवैधानिक संस्थाएँ : लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायतीराज एवं नगरीय स्वशासन की संस्थाएँ आदि जिनका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो।

रसद : जल, अनाज आदि खाद्य सामग्री

उन्मूलन : जड़ से समाप्त कर देना

अभाव अभियोग : सुविधाओं आदि की कमी का आक्षेप

विधिक : कानून संबंधी

प्राकृतिक आपदा : तूफान व बाढ़ जैसी घटना

अद्यतन : आज का या नवीनतम

अभ्यास प्रश्न

1. सही उत्तर का विकल्प चुनिए –

(i) जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है –

(अ) पुलिस अधीक्षक (ब) जिला कलक्टर

(स) जन सम्पर्क अधिकारी (द) कोषाधिकारी ( )

(ii) न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है–
(अ) दीवानी न्यायालय में (ब) फौजदारी न्यायालय में
(स) लोक अदालत में (द) राजस्व न्यायालय में ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) हमारे देश में ..... राज्य और ..... केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

(ii) राजस्थान में ..... संभाग और ..... जिले हैं।

(iii) फौजदारी मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को..... ..... कहते हैं।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

(अ)	**स्तम्भ 'अ'**	**स्तम्भ 'ब'**
(i)	शान्ति एवं कानून व्यवस्था	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
(ii)	भू–अभिलेख अद्यतन करना	सिंचाई एवं कृषि विभाग
(iii)	रसद सामग्री उपलब्ध करवाना	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस
(iv)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	पटवारी
(v)	कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाएँ	जिला रसद अधिकारी

(ब)	**स्तम्भ 'अ'**	**स्तम्भ 'ब'**
(i)	वनों का विकास	जिला प्रशासन
(ii)	संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव	जिला वन अधिकारी
(iii)	सम्पत्ति संबंधी विवाद	राजस्व विवाद
(iv)	चोरी, मारपीट व हत्या के विवाद	दीवानी विवाद
(v)	कृषि भूमि सम्बन्धी विवाद	फौजदारी विवाद

4. जिला प्रशासन के कोई चार कार्य लिखिए।

5. पटवारी के क्या–क्या कार्य हैं ? लिखिए।

6. जन अभाव–अभियोग एवं सतर्कता समिति क्या कार्य करती है ?

7. जिला कलक्टर के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

8. फौजदारी न्यायालय की कार्य प्रक्रिया को समझाइए।

9. जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका को समझाइए।